न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्या:- 86/2015
जीसीएमएस नम्बर :-2015/00079

श्री भैरूलाल पिता उदा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/1. भूरी पत्नी स्व० भैरूलाल जी गुर्जर आयु वयस्क
1/2. नारायण पिता भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/3. रामेश्वर पिता भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/4. सम्पत पिता भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/5. केशर पुत्री भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/6. सायर पुत्री भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/7. सोहनी पुत्री भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/8. प्रेम पुत्री भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/9. कंकु पुत्री भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
समस्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)

----वादीगण

-: बनाम :-

1- राजेश आत्मज स्व० गोविन्द सिंह जी जाति महाजन (ढिलीवाल) आयु वयस्क
2- श्री अजित आत्मज स्व० गोविन्द सिंह जी जाति महाजन (दिलीवाल) आयु वयस्क
3- श्रीमति कीर्ति आत्मज स्व० रोशन लाल जी जाति महाजन (दिलीवाल) आयु वयस्क
4- श्री संजय आत्मज स्व० रोशन लाल जी जाति महाजन (ढिलीवाल) आयु वयस्क
समस्त निवासी बी० 119 प्रतापनगर चितौड़गढ जिला चितौड़गढ (राज०)
5- श्री कालुराम आत्मज श्री रामकरण जाति पारीक (ब्राहम्मण) आयु वयस्क
6- श्रीमति रिद्धी पुत्री रामकरण जी जाति महाजन (दिलीवाल) आयु वयस्क
समस्त निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
7- श्रीमति रतनदेवी पुत्री श्री रामकरण पत्नि रमेश जाति पारीक (ब्राहम्मण) आयु वयस्क निवसी हाल मुकाम भाणपी जिला चितौड़गढ़ (राज०)

9/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

8- श्रीमति मंजुदेवी पुत्री श्री रामकरण पत्नि कृष्ण गोपाल जाति पारीक (ब्राहम्मण) आयु वयस्क निवासी पुर हाल मुकाम बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज०)

9- श्रीमति हर्षादेवी पुत्री श्री रामकरण पत्नि सत्यनारायण जाति पारीक (ब्राहम्मण) आयु वयस्क निवासी पुर हाल मुकाम सेकेट्री ऑल इण्डिया कांग्रेश कमेटी नई दिल्ली

10- श्री कृष्णगोपाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति पुरोहित ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)

11- श्री डालु पिता लेहरू जाति खारोल आयु वयस्क निवासी खारोलिया खेडा पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

12- राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाडा (राज०)

13- उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

---- **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 183, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती,दिलाये जाने कब्जा कृषि आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

-: निर्णय :- दिनांक 3/3/25

मूल वादी भैरूलाल ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 16.06.2015 को इस न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 183, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती,दिलाये जाने कब्जा कृषि आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 23.06.2015 को वाद संख्या 86/2015 बउनवानी भैरूलाल बनाम राजेश वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

बाद तामील प्रतिवादी संख्या 5 व 7 ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 01.08.2025 को एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया कि- उक्त अनवान का एक वाद श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया

3/3/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

होकर विचाराधीन है। जो कि प्रथम दृष्टया ही श्रीमान् के श्रवणायोग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है।

तथाकथित फर्द तब्लीयात नम्बर 52 व 63 संवत 1988-1989 में वर्णित बिकाव को आधार मानते हुए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। चूंकि उक्त दस्तावेज का निष्पादन हुए काफी वर्ष हो चुके हैं।वादी स्वच्छ हाथो से वाद लेकर नहीं आया है क्योंकि फर्द तब्लीयात नम्बर 52 व 63 संवत 1988-1989 में वर्णित मूल बिकाव को निरस्त कराये बिना वादी घोषणा का वाद लाने का अधिकारी नहीं है। वादी घोषणा एवं निषेधाज्ञा की आड में उक्त दस्तावेज को अवैध व शून्य घोषित करा न्यायालय श्रीमान् द्वारा निरस्त कराना चाहता है जिसे सुनने का अधिकार श्रीमान् को नहीं है।

वादीगण द्वारा तथाकथित बिकाव को निरस्त कराने का वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर न्यायालय श्रीमान में मात्र घोषणा एवं निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जो कानुनन पोषणीय नहीं है। विकाव निरस्त कराने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। इसलिये न्यायालय श्रीमान् को ऐसे वाद को सुनने की श्रवणाधिकारिता व क्षेत्राधिकारिता नहीं होने से वाद प्रथम दृष्ट्या ही विधि द्वारा वर्जित होकर सव्यय खारिज होने योग्य है।

तथाकथित फर्द तब्लीयात नम्बर 52 व 63 संवत 1988-1989 में वर्णित मूल बिकाव के पश्चात प्रतिवादीगण के पक्ष में विक्रयपत्र दिनांक 22.03.1968 प 01.09.1975 का निष्पादित हुये है। वादी के पिता की मृत्यु होने तथा खाता प्रतिवादीगण के नाम पर खुल जाने पर भी आज दिनांक तक न तो वादीगण ने तथाकथित मूल बिकाव व उक्त विकय पत्र को निरस्त कराने बाबत् कोई कार्यवाही की, न ही न्यायालय में मूल बिकाव व विक्रय पत्र की निरस्ती बाबत् कोई वाद प्रस्तुत किया, अब इतने लम्बे समय बाद यह वाद प्रस्तुत किया है जो विहित परिसीमा अवधि से परे होकर खारिज होने योग्य है। उक्त विकय पत्र को निरस्त कराने के वाद के लिये परिसीमा अवधि तीन वर्ष है जबकि उक्त दस्तावेज के निष्पादन की तिथी व दस्तावेज की जानकारी वादी को पूर्व में किये गए दावो से पूर्व ही वादी को थी ऐसी परिस्थिति में उक्त वाद परिसीमा अवधि में न होकर खारिज होने योग्य है।

वादी को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही होता है। वादी द्वारा वर्तमान वाद मे दिनांक 15.10.2014 को अवैध रूप से अनाधिकृत कब्जा करने व

9/9/25

सहायक कलक्टर
शीलवाड़ा

हरे वृक्षों को हटाने व उक्त कृषि आराजियात को अंतरित करने की धमकी देने की दिनाक 10.02.2015 का कारण वाद अंकन किया गया है। जबकि वादी द्वारा पूर्व में भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध वर्ष 2008 व वर्ष 2012 में दावा प्रस्तुत किया गया जिसमे अलग- अलग कारण वाद अंकित किया है। इस प्रकार वादी को वादी द्वारा पूर्व मे किये गये दावों से उक्त सभी तथ्यों की जानकारी वादी को पहले से ही थी। वादी ने कपटपूर्वक कारण वाद परिवर्तित कर यह वादपत्र प्रस्तुत किया है इसलिये वादी को इस आधार पर कोई वाद लाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वाद हेतुक के अभाव में दावा वादी चलने योग्य नहीं होने से वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

वादीगण द्वारा अप्रत्यक्ष तौर से न्यायालय से मूल बिकाव को निरस्त कराना चाहता है जो कि स्वयं परिसीमा से बाधित है, करने का प्रयास किया है जो किसी भी प्रकार से इस न्यायालय द्वारा देय अनुतोष नहीं है। इस प्रकार के अनुतोष तो सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रदान किये जा सकते है।

अतः न्यायालय श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा०दी० का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता दिनांक 18.08.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया गया कि- प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 01 एक गलत होकर अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 02 दो गलत होकर अस्वीकार है, इस कलम का जवाब इस प्रकार है कि फर्द तब्दील नम्बर 53 व 63 को सम्वत् 1988-1989 जो निर्णित किया गया, उसकी रजिस्ट्री का जो वर्णन बताकर निर्णित किया गया जबकि वादी के दादा उदा पिता केरिंग द्वारा किसी प्रकार के विक्रय के दस्तावेज का पंजीयन करवा रजिस्ट्री नहीं करवाई है, कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं करवाया था किन्तु प्रतिवादी सख्या 01 से 04 के पूर्वज श्री गोविन्दसिंह, रोशनलाल पिता हरकलाल महाजन ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर बिना किसी विक्रय के दस्तावेज फर्द तब्दील में नाम परिवर्तन कराया गया है, ऐसा तब्दील स्वत: ही अवैध होकर शुन्य प्रभावी है, बिना किसी अन्तरण के एक खातेदार की भूमि को

9/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम पर दर्ज नहीं किया जा सकता है और यदि किया गया है तो वादी के पूर्वज उदा पिता केरिंग के नाम की जमाबन्दी सम्वत् 1985 के हक व अधिकार के मुकाबले फर्द तब्दील संख्या 52 व 63 स्वतः ही अवैध होकर शुन्य प्रभावी है ऐसी स्थिति फर्द तब्दीलात संवत् 1988-1989 के पश्चात् जो प्रविष्टिया विक्रय पत्र जो निष्पादन हुऐ जो कि स्वतः ही अवैध होकर प्रारम्भ से ही शुन्य प्रभावी है जिन्हें अवैध व शुन्य प्रभावी माना जाकर वादीगण को खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है प्रतिवादीगण क्रेता यदि उनके पास संम्बत् 1988-1989 का दस्तावेज है तो प्रस्तुत करे, ताकि कुलिया स्पष्टीकरण हो जायेगा अतः वादीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जो कि चलने योग्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारीज होने लायक है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 तीन गलत होकर अस्वीकार है इस कलम का जवाब इस प्रकार है कि तथाकथित विवादित कृषि आराजियात साबिक बन्दोबस्त सम्वत् 1965 में वादीगण के पूर्वज उदा पिता केरिंग के नाम पर भूमि दर्ज थी जिसे बिना किसी दस्तावेज के व आदेश के फर्द तब्दील संख्या 52 व 63 निर्णित कर भूमि गोविन्द सिंह के नाम पर दर्ज कर दी जो कि स्वतः ही अवैध होकर शुन्य प्रभावी है इसके बाद जो पश्चातवर्ती प्रविष्टियां हुई व भी अवैध होकर प्रभावी है जिसमे वादी खातेदारी अधिकारे की घोषणा करवाने का अधिकारी है खातेदारी अधिकारों की घौषणा का राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। विक्रय पत्रो को अवैध व शुन्य घोषित किया जाने बाबत् अनुषांगिक अनुतोष है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिवील न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर राजस्व न्यायालय को प्राप्त है अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है, इस बाबत् सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्यारेलाल बनाम सुभेन्द्र पिलानिया द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार यदि भूमि खातेदारी अधिकार के रूप में भूमि दर्ज नहीं है तो सर्वप्रथम राजस्व न्यायालय से खातेदारी धौषणा होने पर यदि कोई पश्चातवर्ती विक्रय हुऐ है तो वह स्वतः अनुषंगिक अनुतोष है जो कि स्वतः ही अवैध होकर शुन्य प्रभावी है इसलिए इस प्रकरण की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से प्रार्थना पत्र खारीज होने लायक है।

प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 04 गलत होकर अस्वीकार है इस कलम का जवाब इस प्रकार है कि वादी के पिता उदा पिता केरिंग के नाम पर खातेदारी अधिकार के रूप में दर्ज भूमि गलत रूप से बिना किसी दस्तावेज व आदेश के भूमि को परिवर्तन गोविन्दसिंह के नाम दर्ज हुई, उक्त इन्द्राज मे हुई त्रुटि को दुरुस्ती कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद है, उक्त गलत इन्द्राज व दुरुस्ती के

9/3/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

पश्चात् यदि कोई विक्रय हुआ है तो स्वत: ही अवैध होकर निष्प्रभावी है तथा खातेदारी अधिकारो की घोषणा के वादपत्र में कोई मियाद की अवधि निर्धारित नहीं है, अत प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 05 पांच गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 06 गलत होकर अस्वीकार है।

अतः प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण में जवाब रेकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो व प्रस्तुत निर्णय नजीरो में प्रतिपादित सिद्धान्तो के आधार पर वादीगण का दावा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 से बाधित/ प्रभावित है। वादी ने पूर्ववर्ती वादो को छुपाकर हस्तगत वाद पेश किया है जिसमें पूर्व वादो में वादकारण को छुपाकर कपटपूर्ण वादकारण दर्ज किया है। वादी ने चातुर्यपूर्ण लेखन का प्रयोग किया है। चातुर्यपूर्ण लेखन को विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। ऐसी स्थिति में धारा 151 सी0पी0सी0 की शक्तियो का प्रयोग करते हुए वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया गया। विद्धान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये गये।

न्यायिक दृष्टान्त 2022-23(सप्लीमेण्ट्री) आर आर टी पेज 603 अपील टीए नम्बर 2585/2017 हनुमान बनाम सुभाष व अन्य निर्णीत दिनांक 02.05.2022 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 7, नियम 11- मियाद द्वारा बाधित होने से वाद खारिज किया- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया- प्रतिवादी ने अभिवचन किया कि वाद कारण वर्ष 1983 में उत्पन्न हुआ- राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश अपास्त किया ओर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया- पूर्व में अदम पैरवी में वाद खारिज किया- वाद के रेस्टोरेशन हेतु वादी ने कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया- वादी ने कपटपूर्णक वाद कारण की तारीख परिवर्तित की-निर्णीत, विचारण न्यायालय ने सही निर्णीत किया कि वाद काल बाधित था।

न्यायिक दृष्टान्त 2023(1) आर आर टी पेज 415 एस.बी. सिविल रिविजन पिटिशन नम्बर 23/2022 अर्चना व अन्य बनाम

9/5/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

काना के कायम मुकाम व अन्य निर्णीत दिनांक 21.02.2023 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 7, नियम 10 एवं 11 और धारा 151- वाद पत्र को खारिज करने अथवा सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करने को लौटाने हेतु प्रार्थना पत्र- प्रार्थना पत्र खारिज किया- वादी खाना ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 03.02.2012 को शुन्य घोषित करने हेत वाद पेश किया- प्रकरण वादी की साक्ष्य के स्तर पर लम्बित था- बंशीलाल भूमि का खातेदार था जिसने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा भूमि कमला पत्नि प्रतापसिंह को विक्रय की और उसने भूमि वादी को बेचान की- प्रतिवादी संख्या 1 ने रेकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया- बंशीलाल के वारिसान ने विक्रय विलेख दिनांक 24.04.1967 व 12.06.1972 को चुनौती नहीं दी- राजस्व अभिलेख में इन्द्राज केवल वित्तीय प्रयोजन के लिए है और कोई अधिकार, स्वत्व या हित प्रदान नहीं करते- किसी शून्य/शून्यकरणीय दस्तावेज को निरस्त करने हेतु शक्ति सिविल कोर्ट में निहित है- निर्णीत, आदेश में अवैधता अथवा अनियमितता या क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि नहीं है व यथावत् रखा।

न्यायिक दृष्टान्त- 2008(2) आर एल डब्ल्यु पेज 1390 (राज.) एस.बी. सिविल प्रथम अपील नम्बर 232/2005 मन्दिर ठाकुर श्री मथूरादास जी, छोटा भण्डार बनाम श्री कन्हैयालाल व अन्य निर्णीत दिनांक 18.02.2008 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि- सि0प्र0सं0, आदेश 7 नियम 11, धारा 151- वाद खारिज करना- विधि एवं न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग- अभिनिर्धारित- सि0प्र0सं0 के आदेश 7 नियम 11 में उल्लेखित कारण के आधार पर वाद पत्र खारिज किया जा सकता है जैसे कि वाद विधि से वर्जित है या यह वाद हेतु प्रकट नहीं करता या समुचित न्यायालय शुल्क का संदाय न्यायालय की आज्ञा के उपरान्त भी नहीं किया गया है- यदि वाद न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग हो और उसे आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता तो न्यायालय असहाय नहीं है वह सि0प्र0सं0 की धारा 151 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद खारिज कर सकता है।

न्यायिक दृष्टान्त- 2019(2) आर आर टी पेज 1321 अपील टीए नम्बर 5993/2005 सारसी व अन्य बनाम मगनीराम व अन्य निर्णीत दिनांक 26.04.2019 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- धारा 11- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955- धारा 88, 89, 183 व 188- रेसज्युडिकेटा- प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और वाद खारिज किया-राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और आदेश अपास्त किया तथा मामला प्रतिप्रेषित किया- वादी खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने का हकदार नहीं है- कुछ अधिक पक्षकार अथवा धाराऐं जोड़ने से विषय वस्तु परिवर्तित

2/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

नहीं होती- निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया।

न्यायिक दृष्टान्त (1996)5 एस.सी.सी. पेज 589 बउनवानी Loundu Mari David & oth. V/s Louis Chinnay Arogiaswamy & oth. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.08.1996 पारित फरमाया कर यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि- Plantiff seeking equitable relief of specific performance should come before Court with clean hand- Division Bench of High Court finding that plaintiff-petitioner's case was based on certain false and incorrect facts. In other words the party who make false allegations dava not come with clean hands is not entitlled to the equitable relief.

न्यायिक निर्णय एस0बी0 सिविल प्रथम अपील नम्बर 146/2021 ब्रिजमोहन व अन्य बनाम रामेश्वर व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया कि Thus, it is trite that when they application was filed under Order 7 Rule 11(d) readwith Section 151 CPC, which did not fall within the scope of Order 7 Rule 11 CPC, the Court can reject the same while exercising the power under Section 151 CPC.

Taking into consideration the aforesaid facts and circumstances of the case, in my openion it was a fit case to reject the plaint and the trial Court was right in rejecting the plaint under Order 7 Rule 11 readwith Section 151 CPC.

न्यायिक निर्णय सिविल अपील नम्बर 9519/2019 दहीबेन बनाम अरविन्द भाई कल्याणजी भंसाली मृतक के वारिसान व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया कि The Transaction having been executed through a registered document was in the public domain, and in the knowledge of the plaintiffs right from the beginning.

The remedy under Order vii Rule 11 is an independent and special remedy, wherein the Court is empowered to summarily dismiss a suit at the thereshold,

9/12/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

without proceeding to record evidence, and conducting a tral, on the basis of the evidence adduced. if it is satisfied that the action should be terminated on any of the grounds contained in this provision.

Under Order vii Rule 11, a duty is cast on the Court to determine whether the plaint discloses a cause of action by scrutinizing the averments in the plaint, read in conjunction with the documents relied upon, or whether the suit is barred by any law.

The plea taken in the plaint that they learnt of the alleged fraud in 2014, on receipt of the index of the sale Deed, is wholly misconceived, since the receipt of the index would not constitute the cause of action for filing the suit.

on a reading of the plaint, it is clear that the cause of action arose on the non-payment of the bulk of the sale consideration, which event occurred in the year 2009. The plea taken by the plaintiffs is to create an illusory cause of action, so as to overcome the period of limitation. The plea raised is rejected as being meritless and devoid of any truth.

The omision of the date of executuion if the sale Deed on 02-07-2009 in the prayer clause, was done deliberately and knowledgly, so as to mislead the Court on the issue of limitation.

The delay of over 5 and 1/2 years after the alleged cause of action arose in 2009, shows that the suit was clearly barred by limitation as per Article 59 of the Limitation Act, 1963. The suit was instituted on 15-12-2014, even through the alleged cause of action arose in

9/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

2009, when the last cheque was delivered to the plaintiffs.

Reliance is placed on the recent judgement of this Court rendered in Raghuvendra Sharan Singh V/s Ram Prasanna Singh (Deed) By LRs wherein this Court held the suit would be barred by limitation under Article 59 of the Limitation Act, if it was field beyond three years of the execution of the registered deed.

The present suit fieled by the plaintiffs is clearly an abuse of the process of the Court, and bereft of any merit.

The Trial Court has rightly exercised the power under Order vii Rule 11 CPC, by allowing the application filed by Respondent Nos. 2&3, which was affirmed by the High Court.

In view of the aforesaid discussion, the present Civil Appeal is dismissed with costs of Rs. 1,00,000/- payable by the Appellant to Respondent Nos 2 and 3 within a period of twelve weeks from the date of this judgement.

न्यायिक निर्णय सिविल अपील नम्बर 2960/2019 Raghuvendra Sharan Singh V/s Ram Prasanna Singh (Deed) By LRs में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया कि It is further submitted by the learned counsel appearing on behalf of the appellanttoriginal defendant that if clever drafting has created the illusion of a cause of action, as observed by this Court in a catena of decisions, the Court must nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order 10 of the CPC. It is further submitted that, therefore, as observed by this Court in the case of T.Arivandandam (supra), an activist judge isthe answer to irresponsible law

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

suits. It is submitted that, in the present case, if the bundle of facts narrated in the plaint and the averments in the plaint, as a whole, are considered, in that case, the suit is not only barred by law of limitation, but it is a vexatious and meritless suit and, therefore, the plaint is required to be rejected in exercise of powers under Rule 7 Order 11 of the CPC.

the plaintiff never disputed the gifr deed and/ or never claimed that the gift deed 06-03-1981 was showy deed of gift. With the aforesaid facts and circumstances, the application submitted by the appellantoriginal defendant to reject the plaint in exercise of powers under Order 7 Rule 11 of the CPC is required to be considered.

Reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, he should exercise his power under Order 7 Rule 11 CPC taking care to see that the ground mentioned therein is fulfailed. And if clever drafting has created the illusion of a cause action, nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order 10 CPC.

विद्धान अभिभाषक वादीगण ने प्रतिवादीगण के विद्धान अभिभाषक के तर्को का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के स्कॉप व परिधी के अन्तर्गत न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। ऐसे तुच्छ प्रार्थना पत्र में धारा 151 सी0पी0सी0 की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। विद्धान अभिभषक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो में प्रतिपादित सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण में लागु व चस्पा नहीं होते है, इत्यादि तर्को के आधार पर प्रार्थना खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। आदेश 7 नियम 11

9/2/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

जा0दी0 के आवेदन का निर्णीत करने के लिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन व अध्ययन किये जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है।

मूल वादी भैरूलाल ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 1 में वादी का पारिवारिक सजरा एवं मद संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का पारिवारिक सजरा दर्ज करते हुए कथन किया कि साबिक बन्दोबस्ती जमाबन्दी सम्वत 1986 में वादी के पिता उदा आत्मज केरिंग गुर्जर के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम पुर प०ह० पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

आराजी नम्बर	रकबा
504	03 बीघा 03 बीघा
505	00 बीघा 03 बिस्वा
1429/1	07 बीघा 11 बिस्वा
1429/2	27 बीघा 16 बिस्वा
1430	01 बीघा 09 बिस्वा
1431	00 बीघा 02 बिस्वा
1432	36 बीघा 04 बिस्वा
1434	02 बीघा 07 बिस्वा
1441	00 बीघा 14 बिस्वा
1442	01 बीघा 07 बिस्वा
1443	02 बीघा 07 बिस्वा
1451	00 बीघा 14 बिस्वा
1452	04 बीघा 05 बिस्वा
1453	00 बीघा 07 बिस्वा
1803	01 बीघा 00 बिस्वा

कुल किता 15 — कुल रकबा 89 बीघा 09 बिस्वा

उक्त वर्णित भूमि के सेटलमेंट के पश्चात् नये नम्बर 3451, 3451, 3459, 3453, 3455, 3774, 3248, 3786, 3455 3451, 3449, 3452, 3455, 3461, 3780, 3456, 3449 कायम किये गये जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में निम्न प्रकार से दर्ज किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है

(क) खाता संख्या 240

आराजी नम्बर	रकबा
3450	01 बीघा 13 बिस्वा
3451/2	23 बीघा 16 बिस्वा
3459	00 बीघा 02 बिस्वा
5153	02 बीघा 00 बिस्वा

कुल किता 04 कुल रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा

नोट:- उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 एक कालु पिता रामकरण के नाम दर्ज है।

(ब) खाता संख्या 264

आराजी नम्बर	रकबा
3453/1	08 बीघा 05 बिस्वा
3779	06 बीघा 04 बिस्वा
9248/3786	02 बीघा 07 बिस्वा
9453/3451	02 बीघा 16 बिस्वा

कुल किता 04 कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा

नोट :- वादी संख्या 09 नो कृष्णगोपाल पिता जगन्नाथ पुरोहित (ब्राह्मण) के नाम पर दर्ज है।

(ग) खाता संख्या 351

आराजी नम्बर	रकबा
3449	05 बीघा 10 बिस्वा
3452	00 बीघा 09 बिस्वा
3453/2	10 बीघा 00 बिस्वा
3460	02 बीघा 17 बिस्वा
3780	00 बीघा 17 बिस्वा

कुल किता 05 कुल रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा

3/3/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

नोट- उक्त भूमि वर्तमान में गलकु बाई पत्नी रामकरण पारिक (ब्राहमण) के नाम पर दर्ज है जिसकी मृत्यु होने के उसके वारीस प्रतिवादीसंख्या 05 पाँच से 09 नो है।

(घ) **खाता संख्या**

आराजी नम्बर

9456/3449 (ख) रकबा 05 बीघा 00 बिस्वा

कुल किता 01 कुल रकबा 05 बीघा 00 बिस्वा

नोट- उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में राधाकिशन पिता लादूलाल मीणा व नन्दकिशोर पिता रामचन्द्र मीणा के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है जो कि ला-औलाद फौत हो चूके है जिस पर प्रतिवादी संख्या 11 ग्यारह डालु पिता लेहरू खारोल निवासी खारोलिया खेड़ा, पुर ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है।

उक्त वर्णित भूमि वादी के पिता उदा आत्मज केरिंग के खातेदारी अधिकार की थी जिसे राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना किसी आधार व दस्तावेज के उक्त भूमि को सम्वत् 2014 से 2017 की जमाबन्दी बनाई उसमें फर्द तब्दीलात संख्या 52 व 63 से बिना बिकाव व किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं होने के बावजूद गलत रूप से प्रतिवादी सख्या 01 एक से 04 चार के पूर्वज गोविन्दसिह, रोशनलाल पिता हरकलाल महाजन के नाम पर दर्ज कर दी जबकि वादी के पिता ने हरकलाल महाजन के पक्ष में किसी प्रकार का अन्तरण का दस्तावेज निष्पादित नही किया है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 एक से 04 चार के पूर्वजो के नाम पर गलत, अवैध प्रविष्टी हुई है जो कि अवैध व शून्य प्रभावी है. उक्त भूमि के बिकाव का कोई भी स्टाम्प रजिस्ट्री व किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 01 एक से 04 चार के पूर्वज श्री हरकलाल महाजन के पक्ष में निष्पादित नहीं किया, केवल राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादी के पिता उदा आत्मज केरिंग की खातेदारी की भूमि को मात्र फर्द तब्दीलात नम्बर 52 व 63 सम्वत् 1988-1989 में भर कर बिकाव बताकर स्वीकृत कर दिया और उक्त भूमि को प्रतिवादी सख्या 01 एक से 04 चार के पूर्वज हरलाल पिता घेरचन्द महाजन के नाम पर दर्ज कर दी जबकि विक्रय बाबत् किसी प्रकार का कोई दत्तावेज ही निष्पादित नहीं हुआ चूँकि उक्त गलत व फर्जी तब्दीलात के आधार पर उक्त भूमि गलत दर्ज हुई चूंकि वादी के पिता अनपढ़ थे जिससे रेकॉर्ड के बाबत् कोई जानकारी नहीं कि क्योंकि मौके पर कब्जा वादी के पिता का ही था तत्पश्चात् वादी की माता का चला आ रहा था. वादी का भाई भी ला-औलाद फौत हो चूका व वादी

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

की माता की भी मृत्यु हो गई, वादी के पिता की मृत्यु हुई उस समय वादी 05-07 वर्ष का ही था, वादी के बालिग होने के बाद वादी का ही कब्जा चला आ रहा है. उक्त भूमि पर क्रेतागण द्वारा दखलन्दाजी करने पर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया किन्तु वाद के विचाराधीन के दौरान ही प्रतिवादीगण ने गत वर्ष दिनाक 15.10.2014 को उक्त भूमि पर अवैध रूप से वादी को मौके से बेदखल कर कब्जा कर लिया जिससे वादी की और से यह वाद पत्र राजस्व रेकॉर्ड में फर्द तब्दीलात नम्बर 52, 63 के आधार पर हुई प्रविष्टी को निरस्त व शून्य प्रभावी मानते हुए, रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्थी की जाकर उसके पश्चात् हुई अवैध विक्रय पत्रों के आधार पर हुई प्रविष्टीयां निरस्त की जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी कराई जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

तथाकथित फर्द तब्दीलात संख्या 52 63 संवत् 1988-89 के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में उक्त भूमि हरकलाल पिता घेरचन्द महाजन के नाम पर गलत रूप से दर्ज कर दी व उसके आधार पर विरासत से उक्त भूमि गोविन्दसिंह पिता हरकलाल, रोशनलाल पिता हरकलाल महाजन के नाम सम्वत् 2009 से 2012 की जमाबन्दी में दर्ज हुई जिससे गोविन्दसिंह पिता हरकलाल, रोशनलाल पिता हरकलाल ने निम्न विक्रय पत्र निष्पादित किये जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(क) विक्रय पत्र दिनांक 22.03.1968 विक्रय पत्र तादादी 13,000/- अक्षरे तेरह हजार का गोविन्दसिंह, रोशनलाल पिता हरकलाल द्वारा क्रेता कालुराम पिता जगन्नाथ पारीक के पक्ष में ग्राम पुर की साबिक आराजी नम्बर 1428/2, 1433/2, 1439/1, 1429/2, 1430, 1428/1, 505/7 कुल किता 07 सात कुल रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा का निष्पादन कराया।

(ख) विक्रय पत्र दिनाक 22.03.1968 विक्रय पत्र तादादी 13,000/- अक्षरे तेरह हजार का गोविन्दसिह, रोशनलाल पिता हरकलाल द्वारा क्रेता गलकु पत्नी रामकरण पारीक के पक्ष में ग्राम पुर की साबिक आराजी नम्बर 1432, 1433/504, 1431/4 कुल किता 04 चार कुल रकबा 45 बीघा 09 बिस्वा का निष्पादन कराया।

(ग) विक्रय पत्र दिनाक 01.09.1975 विक्रय पत्र तादादी 7,000/- अक्षरे सात हजार रूपये का गलकु पत्नी रामकरण पारीक द्वारा क्रेता कृष्ण गोपाल पिता जगन्नाथ पुरोहित के पक्ष में ग्राम पुर की साबिक आराजी नम्बर 1433/1, 1433 कुल किता 02 दो कुल रकबा 25 बीघा का निष्पादन कराया।

21/2/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद पत्र की चरण सख्या 03 तीन में वर्णित साबिक कृषि आराजी नम्बर 504 505. 1429/1, 1429/2, 1430, 1431, 1432, 1434 1441, 1442 1443, 1451, 1452 1453, 1803 कुल किता 15 पन्द्रह कुल रकबा 89 बीघा 09 बिस्वा भूमि अवस्थित है जिसका सेटलमेन्ट होने के पश्चात् नये नम्बर 3450 3451, 3459, 5153, 3453, 3779, 9248/3788, 9453/3451, 3449, 3452 3453, 3460, 3780 9456/3449 कायम किये गये जो कि प्रतिवादीगण के नाम पर अवैध व गलत प्रतिष्टीयों की वजह से अवैध हस्तान्तरण के जरिए प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हुई है जिसके बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती व खातेदारी का वाद विचाराधीन होते हुए भी गलत रूप से अवैध रूप से दिनांक 15.10.2014 को कब्जा कर लिया, जिससे कब्जा हटाया जाकर मौके से बेदखल किया जाने हेतु भी यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है तथा उक्त भूमि को प्रतिवादीगण खुर्द-बुर्द कर अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने के लिए तत्पर है व मौके पर खड़े हरे वृक्षों की कटाई करने के लिए तत्पर है जिसके लिए वादी को प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 10.02.2015 को उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने व मौके पर हरे वृक्षों की कटाई की धमकी दिनांक 10.02.2015 को दी गई, अत वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है, अत वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण धौषणा, इन्द्राज दुरस्थी, कब्जा दिलाया जाने कृषि आराजिपात व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

प्रस्तुत वाद घोषणा इन्द्राज दुरस्थी कब्जा दिलाया जाने कृषि आराजियात व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाड़ा एवं उप-पंजीयक भीलवाड़ा भी आवश्यक पक्षकार है जिनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा०दी० का नोटिस दिया जाना अति-आवश्यक है किन्तु मामला अत्यावश्यक प्रकृति का होने की वजह से इनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व नोटिस नहीं दिया जाकर इसकी स्वीकृति हेतु धारा 80 (2) जा०दी० का आवेदन अलग से प्रस्तुत है।

वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 15.10.2014 को अवैध रूप से अनाधिकृत कब्जा करने व उक्त कृषि आराजियात में खड़े हरे वृक्षो को हटाने व उक्त कृषि आराजियात को अन्य व्यक्तियों को रहन-बय, बक्षीस के माध्यम से अन्तरित करने की धमकी दिनाक 10.02.2015 को देने से उत्पन्न होकर जारी है।

9/2/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

विवादग्रस्त कृषि आराजियात वाके ग्राम पुर प०ह० पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित है जो कि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क), 183 व 188 रा०टि०एक्ट बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी, दिलाया जाने कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

वाद पत्र अतिरिक्त प्रति के साथ मय दस्तावेजात के प्रस्तुत है।
वाद पत्र की ताईद में वादी का शपथ पत्र प्रस्तुत है।
वाद पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।
वाद पत्र अन्दर अवधि में प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि :-

(क) कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घौषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की चरण संख्या 03 तीन में वर्णित साबिक आराजी नम्बर 504, 505, 1429/1, 1429/2 1430, 1431, 1432, 1434, 1441, 1442, 1443, 1451, 1452, 1453, 1803 कुल किता 15 पन्द्रह कुल रकबा 89 बीघा 09 बिस्वा में से साबिक 1429/1, 1429/2 1430, 1431 1432 कुल किता 05 पाँच कुल रकबा 73.02 तयोतर बीघा दो बिस्वा के बाबत् फर्द तब्दीलात सख्या 52 सम्वत् 1988 व साबिक आराजी नम्बर 504, 505, 1428/1, 1433/1 कुल किता 04 चार कुल रकबा 11.16 ग्यारह बीघा सोलह बिस्वा के बाबत् फर्द तब्दीलात सख्या 63 समात् 1989 वादी के हक व अधिकार के मुकाबले में अवैध व शून्य प्रभावी मानते हुऐ उसी क्रम में हुऐ पश्चातवर्ती इन्द्राज व विक्रय पत्र को भी अवैध व शून्य प्रभावी माना जाकर वादी को वाद पत्र की चरण सख्या 04 चार के पैरा "क" की वर्तमान आराजी नम्बर 3450 3451/2 3459 5153 कुल किता 04 चार कुल रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा, पैरा "ख" की आराजी नम्बर 3453/1, 3779, 9248/3786. 9453/3451 कुल किता 04 चार कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा, पैरा "ग" की आराजी नम्बर 3449. 3452, 3453/2 3460, 3780 कुल किता 05 पाँच कुल रकबा 19 बीघा 13

9/3/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

बिस्वा, पैरा "घ" की आराजी नम्बर 9456/3449 किता 01 एक कुल रकबा 05 बीघा का वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी फरमाई जायें।

(ख) कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की कब्जायाबी की डिक्री सादिर फरमाई जायें कि वाद पत्र की चरण संख्या 04 चार के पैरा "क" की वर्तमान आराजी नम्बर 3450, 3451/2, 3459, 5153 कुल किता 04 चार कुल रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा, पैरा "ख" की आराजी नम्बर 3453/1. 3779, 9248/3786, 9453/3451 कुल किता 04 चार कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा, पैरा "ग" की आराजी नम्बर 3449 3452, 3453/2, 3460, 3780 कुल किता 05 पाँच कुल रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा, पैरा "घ" की आराजी नम्बर 9456/3449 किता 01 एक कुल रकबा 05 बीघा पर से प्रतिवादीगण को कब्जा से हटाया जाकर जरिए पुलिस इमदाद के कब्जा वादी को दिलाया जावें व धारा 35(ए) रा०टि०एक्ट के तहत हर्जाना दिलाया जायें।

(ग) कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जायें कि वाद पत्र की चरण संख्या 04 चार के पैरा "क" की वर्तमान आराजी नम्बर 3450, 3451/2, 3459, 5153 कुल किता 04 चार कुल रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा, पैरा ''ख'' की आराजी नम्बर 3453/1, 3779, 9248/3786, 9453/3451 कुल किता 04 चार कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा पैरा "ग" की आराजी नम्बर 3449. 3452 3453/2 3460, 3780 कुल किता 05 पोंच कुल रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा, पैरा "घ" की आराजी नम्बर 9456/3449 किता 01 एक कुल रकबा 05 बीघा भूमि के उपयोग-उपभोग व कास्त करने में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करें, न अन्य करावें व उक्त भूमि को रहन-बय-बक्षीस के माध्यम से अन्तरित नहीं करें व उक्त भूमि के अन्तरण बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 13 तेरह उसका पंजीयन नहीं करें व प्रतिवादी सख्या 12 बारह रेकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।

(घ) कि हर्जा-खर्चा वकील महनताना वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जायें।

(ङ) कि अन्य अनुतोष मुफिद हो जो वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जाये।

9/3/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण के वाद पत्र का अवलोकन करने से प्रकट हुआ कि वादी ने वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 183, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ ही धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को मिलाकर घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, दिलाये जाने कब्जा कृषि आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा है। हमारी विनम्र राय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 दोनो पृथक-पृथक स्वतन्त्र विधियां है। धारा 136 एल0आर0एक्ट का अनुतोष आर0टी0एक्ट के अर्न्तगत दायर वाद में निर्णीत किये जाने का कोई विधिक प्रावधान विधि में स्थापित नहीं है। आर0टी0एक्ट के अर्न्तगत तृतीय अनुसूची में उल्लिखित वादपत्रो को ही निर्णीत किया जा सकता है। आर0टी0एक्ट की तृतीय अनुसूची में धारा 136 एल0आर0एक्ट सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार वादी का दावा विधि एवं विधिक प्रावधानो के अनुसरण में नहीं होने के कारण विधि वर्जित है जो इस आधार पर अस्वीकार कर खारिज किये जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा है।

प्रतिवादी संख्या 5 व 7 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो से यह प्रकट हुआ कि इसी वादी भैरूलाल द्वारा इसी विषयवस्तु पर इन्हीं प्रतिवादीगण व इनके पूर्वजो के विरूद्ध वर्ष 2008 में इसी न्यायालय के समक्ष एक अन्य वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89ए, 92-क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा खातेदारी अधिकार व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था जो वाद संख्या 213/2008 बउनवानी भैरू बनाम रमेश वगैरह दर्ज रजिस्टर हुआ। जिसमें वादकारण माह अगस्त, 2008 में उत्पन्न होना कथन किया गया है तथा अनुतोष चाहा गया कि- (क) वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की डिक्री जारी फरमावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित हाल आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदार हटाया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जावे। अनुतोष मद (ख) में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया।

पूर्ववर्ती वाद संख्या 213/2008 तथा हस्तगत वाद पत्र संख्या 86/2015 की विषयवस्तु, पक्षकार व अनुतोष समान है। इस न्यायलय द्वारा पूर्ववर्ती वाद संख्या 213/2008 में निर्णय/आदेश दिनांक 18.02.2021 पारित कर उक्त वाद को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। वादीगण ने पूर्ववर्ती वाद को रेस्टोर कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं की है। हस्तगत वाद में पूर्ववर्ती वाद को छिपाया गया है। वादीगण नीट एण्ड क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नहीं आये है। इस आधार पर वादीगण का हस्तगत वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा

प्रतिवादीगण 5 व 7 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो से यह भी प्रकट हुआ कि वादी ने इसी विवादित कृषि भूमियो के संबंध में एक दीवानी दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु इन्हीं पक्षकारो के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) भीलवाड़ा में वर्ष 2012 में दायर किया था जो प्रकरण संख्या 100/2012 बउनवानी भैरूलाल बनाम राजेश दर्ज रजिस्टर हुआ था। उक्त सिविल वाद में वादकारण दिनांक 15.11.2011 को उत्पन्न होना कथन किया गया है। उक्त दीवानी वाद बउनवानी भैरूलाल बनाम राजेश वगैरह में वादी ने अनुतोष चाहा कि– (क) वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घौषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित पैरा (क) में वर्णित साबिक आराजी नं0 1429/1, 1429/2, 1430, 1431, 1432 कुल किता 05 कुल रकबा 73. 02 त्योतर बीघा दो बिस्वा के बाबत् फर्द तब्दीलात संख्या 52 सम्वत् 1988 व पैरा (ख) में वर्णित साबिक आराजी नम्बर 504, 505, 1428/1, 1433/1 कुल किता 04 कल रकबा 11.16 ग्यारह बीघा सोलह बिस्वा के बाबत् फर्द तब्दीलात संख्या 63 सम्वत् 1989 वादी के हक व अधिकार के मुकाबले में अवैध व शुन्य प्रभावी मानते हुए उसी क्रम में हुए पश्चात्वर्ती इन्द्राज व विक्रय पत्र जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण संख्या 05 में किया गया है जो इस वाद पत्र की साथ प्रस्तुत है जो स्वतः अवैध, शून्य व निष्प्रभावी होकर अबाध्यकारी है, इस आशय की घोषणा कराई जावे। अनुतोष मद "ख" में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया।

माननीय सिविल न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के आवेदन में निर्णय/आदेश दिनांक 30.09.2014 पारित कर उक्त दीवानी वाद खारिज किया जा चुका है। हस्तगत राजस्व वाद व उक्त दीवानी वाद में चाहा गया अनुतोष, पक्षकार व विषयवस्तु समान है। वादीगण का हस्तगत राजस्व वाद धारा 11 सी. पी.सी. रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित/प्रभावित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किये जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है।

वादीगण ने हस्तगत वाद में रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो यथा (क) विक्रय पत्र दिनांक 22.03.1968 गोविन्दसिंह, रोशनलाल पिता हरकलाल द्वारा क्रेता कालुराम पिता जगन्नाथ पारीक के पक्ष में ग्राम पुर की साबिक आराजी नम्बर 1428/2, 1433/2, 1439/1, 1429/2, 1430, 1428/1, 505/7 कुल किता 07 सात कुल रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा (ख) विक्रय पत्र दिनाक 22.03.1968 विक्रय पत्र गोविन्दसिह, रोशनलाल पिता हरकलाल द्वारा क्रेता गलकु पत्नी रामकरण पारीक के पक्ष में ग्राम

9/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

पुर की साबिक आराजी नम्बर 1432, 1433/504, 1431/4 कुल किता 04 चार कुल रकबा 45 बीघा 09 बिस्वा (ग) विक्रय पत्र दिनाक 01.09.1975 विक्रय पत्र गलकु पत्नी रामकरण पारीक द्वारा क्रेता कृष्ण गोपाल पिता जगन्नाथ पुरोहित के पक्ष में ग्राम पुर की साबिक आराजी नम्बर 1433/1, 1433 कुल किता 02 दो कुल रकबा 25 बीघा को अवैध व शुन्य प्रभावी घोषित कराने का अनुतोष भी हस्तगत राजस्व वाद में चाहा है। जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो को अवैध व शुन्य प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अवैध, शुन्यप्रभावी व निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस आधार पर भी वादीगण का हस्तगत वाद क्षेत्राधिकार विहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किये जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है।

अतएव उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी का वाद धारा 136 एल0आर0एक्ट की सीमा तक आर0टी0एक्ट की तृतीय अनुसूची से बाहर होने से विधिक प्रावधानो के विपरीत है तथा वादी ने पूर्ववर्ती वाद में रेस्टोरेशन हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके हस्तगत वाद कपटपूर्ण वादकारण के आधार पर प्रस्तुत किया है तथा पूर्व वादो को हस्तगत वाद में छुपाकर नीट एण्ड क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नहीं आया है। वादी ने विधि व विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो को अवैध व प्रभावशुन्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है, राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो को अवैध व प्रभावशुन्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वादी का वाद क्षेत्राधिकार विहीन एवं विधि वर्जित है। उक्त उल्लिखित स्थिति में वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 9/9/25 को सरे इजलास में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

9/9/25

अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः– अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्याः– 86/2015
जीसीएमएस नम्बर :–2015/00079

श्री भैरूलाल पिता उदा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

1/1. भूरी पत्नी स्व० भैरूलाल जी गुर्जर आयु वयस्क
1/2. नारायण पिता भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/3. रामेश्वर पिता भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/4. सम्पत पिता भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/5. केशर पुत्री भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/6. सायर पुत्री भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/7. सोहनी पुत्री भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/8. प्रेम पुत्री भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
1/9. कंकु पुत्री भैरूलाल गुर्जर आयु वयस्क
समस्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)

----वादीगण

-: बनाम :-

1- राजेश आत्मज स्व० गोविन्द सिंह जी जाति महाजन (ढिलीवाल) आयु वयस्क
2- श्री अजित आत्मज स्व० गोविन्द सिंह जी जाति महाजन (दिलीवाल) आयु वयस्क
3- श्रीमति कीर्ति आत्मज स्व० रोशन लाल जी जाति महाजन (दिलीवाल) आयु वयस्क
4- श्री संजय आत्मज स्व० रोशन लाल जी जाति महाजन (ढिलीवाल) आयु वयस्क
समस्त निवासी बी० 119 प्रतापनगर चितौडगढ जिला चितौडगढ (राज०)
5- श्री कालुराम आत्मज श्री रामकरण जाति पारीक (ब्राहम्मण) आयु वयस्क

9/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

6- श्रीमति रिद्धी पुत्री रामकरण जी जाति महाजन (दिलीवाल) आयु वयस्क समस्त निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

7- श्रीमति रतनदेवी पुत्री श्री रामकरण पत्नि रमेश जाति पारीक (ब्राहम्मण) आयु वयस्क निवसी हाल मुकाम भाणपी जिला चितौडगढ (राज०)

8- श्रीमति मंजुदेवी पुत्री श्री रामकरण पत्नि कृष्ण गोपाल जाति पारीक (ब्राहम्मण) आयु वयस्क निवासी पुर हाल मुकाम बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज०)

9- श्रीमति हर्षादेवी पुत्री श्री रामकरण पत्नि सत्यनारायण जाति पारीक (ब्राहम्मण) आयु वयस्क निवासी पुर हाल मुकाम सेकेट्री ऑल इण्डिया कांग्रेश कमेटी नई दिल्ली

10- श्री कृष्णगोपाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति पुरोहित ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)

11- श्री डालु पिता लेहरू जाति खारोल आयु वयस्क निवासी खारोलिया खेडा पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

12- राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाडा (राज०)

13- उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

---- **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 183, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती,दिलाये जाने कब्जा कृषि आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ~~9/9/25~~ मिनजानिब मुद्धई रूबरू ---~~9/9/25~~---- मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

अतएव उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी का वाद धारा 136 एल0आर0एक्ट की सीमा तक आर0टी0एक्ट की तृतीय अनुसूची से बाहर होने से विधिक प्रावधानो के विपरीत है तथा वादी ने पूर्ववर्ती वाद में रेस्टोरेशन हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके हस्तगत वाद कपटपूर्ण वादकारण के आधार पर प्रस्तुत किया है तथा पूर्व वादो को हस्तगत वाद में छुपाया कर नीट एण्ड क्लीन हेण्ड से

9/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय में नहीं आया है। वादी ने विधि व विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो को अवैध व प्रभावशुन्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है, राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो को अवैध व प्रभावशुन्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वादी का वाद क्षेत्राधिकार विहीन एवं विधि वर्जित है। उक्त उल्लिखित स्थिति में वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे।

निज---- मुबलिग---- बाबत् ---- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह----फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदागी तक ---- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 9/9/25 को जारी की गई।

9/9/25

अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मुद्धई	रूपया	पैसे	मुद्धायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	—	~	स्टाम्प अर्जीदावा	—	~
स्टाम्प वकालतनामा	—	—	स्टाम्प वकालतनामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	~	स्टाम्प वजह सबूत	—	~
महनताना वकील	—	—	महनताना वकील	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
फीस कमिशनर बाबत् इजराय	—	—	फीस कमिशनर बाबत् इजराय	—	—
हुक्मनामा	—	—	हुक्मनामा	—	—
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मीजान	—	—	मीजान	—	—

9/9/25

अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा